

उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019

[यथा यंशोधित-2021(प्रथम संशोधन)]



उत्तर प्रदेश सरकार
कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग, उत्तर प्रदेश

1. पृष्ठभूमि

उत्तर प्रदेश भौगोलिक विस्तार की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राज्य है, जिसका क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किमी। है जो देश के कुल क्षेत्रफल का 7.3 प्रतिशत है। इस राज्य के चार पारिस्थितिकी क्षेत्र हैं जो तराई, गंगा के मैदान, भाभर और विंध्य क्षेत्र को आच्छादित करते हैं। यह देश का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है, जिसमें 18 मण्डल और 75 जिले हैं। इस राज्य में छ: स्पष्ट और विशिष्ट मृदा समूह हैं-भाभर मृदा, तराई मृदा, विंध्य मृदा, बुंदेलखंड मृदा, अरावली मृदा और जलोढ़ मृदा हैं। वर्षा, भूभाग और मृदा की विशेषताओं के आधार पर उत्तर प्रदेश के नौ विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। इस राज्य की जलवायु उपोष्णकटिबंधीय और खेती के अनुकूल है। उत्तर प्रदेश के लोगों की आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि है और लगभग 66% आबादी खेती और इसकी सहायक गतिविधियों से आजीविका कमाती है। गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों के जल से राज्य में गेहूँ, मक्का, धान, आलू, गन्ना, दालें, तिलहन और कई फल तथा सब्जियों की खेती की जाती है। उत्तर प्रदेश पूरे देश का 21% खाद्यान्न, 10.8% फल और 15.4% सब्जियाँ उगाता है।

कृषि का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी0एस0डी0पी0) में 25.7% (वर्तमान लागत पर 2017-18 में और 22.7% स्थिर कीमत में) का अंशदान है। इस राज्य में 177.21 लाख हेक्टेयर खेती योग्य क्षेत्र है जिसके विरुद्ध शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 166 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से 86.7 प्रतिशत सिंचित भूमि है। प्रदेश का खाद्यान्न, गन्ना, आलू, दूध, मांस तथा बागवानी में देश में पहला स्थान है।

किसान की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए यह जरूरी है कि कृषि उत्पाद की बेहतर माँग न केवल राष्ट्रीय स्तर पर उत्पन्न की जाए बल्कि इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उत्पन्न किया जाए और निर्यात बढ़ाकर बेहतर कीमत प्राप्त की जाए। किसानों को अपने उत्पादों की बेहतर कीमत प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए कृषि उत्पादों के निर्यात पर जोर देना जरूरी है। इसके लिए राज्य में एक स्थायी कृषि निर्यात नीति के गठन की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय कृषि निर्यात में उत्तर प्रदेश का 7.35% योगदान है। वर्तमान में वर्ष 2018-19 में निर्यात की गई मात्रा की दृष्टि से भारत से कुल कृषि निर्यात में उत्तर प्रदेश का मांस में 50.34%, गेहूँ में 37.88%, प्राकृतिक शहद में 26.59%, ताजे आम में 4.12%, अन्य ताजे फलों में 15.84%, दुग्ध उत्पादों में 13.31%, गैर-बासमती चावल में 4.02%, बासमती चावल में 3.21%, पुष्प कृषि उत्पाद में 0.57%, प्रसंस्कृत फलों, उनके जूस और मेवों आदि में 0.51% का योगदान रहा है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018 में लगभग 30+ बिलियन यू0एस0 डॉलर के कृषि निर्यात से दोगुना करते हुये वर्ष 2022 में लगभग 60+ बिलियन यू0एस0 डॉलर

करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय कृषि निर्यात नीति प्रतिपादित की गई है। यह परिकल्पना की गई है कि प्रत्येक राज्य द्वारा इस उद्देश्य को हासिल करने में मदद करने के लिए अपनी कृषि निर्यात नीति प्रतिपादित की जाएगी। इस दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति राष्ट्रीय लक्ष्य के सामंजस्य में निरूपित की जा रही है।

2 . नीति का विजन

उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019 का विजन

"कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नये ढांचे की व्यवस्था करना, कृषि फसलों एवं उत्पादों के निर्यात की क्षमता का सदुपयोग करना तथा किसानों एवं अन्य हितधारकों की आय पर्याप्त रूप से बढ़ाना"

3. नीति का उद्देश्य

- उत्तर प्रदेश से कृषि निर्यात को वर्ष 2024 तक 2524 मिलियन यू०एस० डॉलर अर्थात रु० 17,591 करोड के वर्तमान मूल्य से दोगुना करना।
- पर्यावरण को रक्षित करने वाले कृषि उत्पादों के निर्यात को सुगम करना और अप्रसंस्कृत कृषि उत्पादों के निर्यात से मूल्य वर्द्धित उत्पादों की ओर गमन।
- निर्यात के लिए उन संभावित कृषि फसलों और उत्पादों की पहचान करना और बढ़ावा देना जो देशी एवं जैविक हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय बाजार का आंकलन करने और इसके प्रबंधन से संबंधित बाधाओं को दूर करने के लिए संस्थागत कार्यप्रणाली बनाना।
- निर्यात योग्य कृषि उत्पादों और वैश्विक अवसरों से संबंधित जानकारी को किसानों तक पहुँचाने के लिए ढांचा विकसित करना।
- कृषि क्षेत्र में निर्यात को बढ़ाने के लिए राज्य में मुख्य विभागों के बीच सहक्रियाशील अवसरों पर ध्यान देना।
- बाजारों का विस्तार करते हुए किसानों की आमदनी को बढ़ाना जिससे उन्हें बेहतर कीमत मिल सके।

4. कार्यान्वयन के लिए रणनीति

- 4.1 संस्थागत कार्यप्रणाली, विभागों के बीच ज्यादा तारतम्य को मजबूत करना और मौजूदा संस्थागत ढांचे का प्रभावी उपयोग करना।
- 4.2 राज्य से कृषि निर्यात की सुविधा के लिए बुनियादी ढांचे को सक्षम बनाना और गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करना और सभी स्तर पर आवश्यक मानक बनाए रखना।
- 4.3 हितधारकों के लिए संपर्क बिंदु के रूप में राज्य स्तरीय कृषि निर्यात सुविधा केन्द्र स्थापित करना।
- 4.4 कृषि फसलों और उत्पादों के निर्यातकों के लिए व्यवसाय को सुगम बनाने के तरीकों को बढ़ावा देना और सुविधाजनक बनाना।
- 4.5 आधुनिक मूल्य शृंखला बनाने के लिए निजी क्षेत्र के निवेशों को प्रोत्साहित करना जो वैश्विक बाजार से अच्छी तरह से एकीकृत हों।
- 4.6 अच्छी कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करना, रोग मुक्त क्षेत्रों को विकसित करना और ताजे फल और सब्जियों के निर्यात के लिए लंबी दूरी के समुद्री प्रोटोकॉल को बढ़ावा देना।
- 4.7 कार्मिकों और हितधारकों की क्षमता का विकास करना।
- 4.8 नवोन्मेष और स्टार्ट-अप को प्रोत्साहित करने के लिए व्यवस्थाएं स्थापित करना।
- 4.9 राज्य को अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अवसरों से जोड़ने के लिए बढ़ावा देने के कार्यक्रम आयोजित करना।
- 4.10 ज्यादा निवेश के लिए व्यवसाय आकर्षित करना और राज्य के ब्रांड का प्रचार करने पर जोर देना।
- 4.11 जिले या जिलों के समूह में क्षेत्रों के क्लस्टर बनाते हुए क्लस्टर पद्धति के माध्यम से राज्य से कृषि निर्यात को बढ़ाना, ऐसे क्षेत्रों के क्लस्टर जिनमें निर्यात योग्य कृषि उत्पाद पारंपरिक रूप से उत्पादित या प्रसंस्कृत किया जा रहा है या जो इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त है।

4.12 राष्ट्रीय और राज्य स्तर की संस्थाओं के सहयोग से अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करना।

5. नीति का कार्यान्वयन

- 5.1 यह नीति अधिसूचना जारी होने की तिथि से लागू होगी।
- 5.2 इस नीति में किसी भी संशोधन की स्थिति में, यदि प्रोत्साहन राशि का कोई पैकेज जो राज्य सरकार की ओर से किसी किसान/ एफपीओ/ एफपीसी/ निर्यातक/ इकाई को पहले से ही प्रतिबद्ध है, वह वापस नहीं लिया जाएगा और किसान/ एफपीओ/ एफपीसी/ निर्यातक/ इकाई उस लाभ के लिए हकदार रहेगी।

6. कार्यान्वयन ढाँचा

6.1 संस्थागत कार्यप्रणाली को मजबूत करना:

6.1.1 इस नीति को कृषि एवं कृषि क्षेत्र से जुड़े सम्बंधित सभी विभाग जैसे कृषि विभाग, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग जिसमें राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद् उत्तर प्रदेश भी सम्मिलित है, पशुपालन विभाग, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मन्त्र्य, डेयरी एवं दुग्ध विकास विभाग, उदान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग एवं ऊन अन्य विभागों में जिन्हें इस नीति के प्रस्तर 6.1.2 द्वारा गठित राज्य स्तरीय निगरानी समिति निर्देशित कर सकेगी, द्वारा लागू की जायेगी और यह विभाग इस नीति के अंतर्गत सम्बंधित विभाग कहे जायेंगे।

6.1.2 नीति के कार्यान्वयन को मजबूत और निगरानी करने के लिए एक “राज्य स्तरीय निर्यात निगरानी समिति” बनाई जाएगी। राज्य स्तरीय निगरानी समिति निम्नवत होगी:

क्रम सं.	समिति का पद	आधिकारिक पदनाम
1	अध्यक्ष	मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन
2	उपाध्यक्ष	कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन
क. राज्य सरकार के कृषि निर्यात संबंधी विभाग/ संस्थाएँ		
1	सदस्य	अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर

		प्रदेश शासन
2	सदस्य	अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन
3	सदस्य	प्रमुख सचिव, कृषि, उत्तर प्रदेश शासन
4	सदस्य	प्रमुख सचिव, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार, उत्तर प्रदेश शासन
5	सदस्य	प्रमुख सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तर प्रदेश शासन
6	सदस्य	प्रमुख सचिव, पशुपालन, उत्तर प्रदेश शासन
7	सदस्य	प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, उत्तर प्रदेश शासन
8	सदस्य	प्रमुख सचिव, मत्स्य पालन, उत्तर प्रदेश शासन
9	सदस्य	प्रमुख सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास, उत्तर प्रदेश शासन
10	सदस्य	प्रमुख सचिव, डेयरी एवं दुग्ध विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन
11	सदस्य	निर्यात आयुक्त, निर्यात संवर्धन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश सरकार
12	सदस्य	आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तर प्रदेश सरकार
13	सदस्य	महानिदेशक, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसन्धान परिषद्, (उपकार), उत्तर प्रदेश
14	सदस्य	प्रबंध निदेशक, ३०प्र० राज्य औद्यानिक सहकारी विपणन संघ,
15	सदस्य	निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद्, उत्तर प्रदेश
16	सदस्य	निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था

लखनऊ		
17	सदस्य सचिव	निदेशक, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय, उत्तर प्रदेश
ख. केंद्र सरकार के निर्यात संबंधी विभाग/ संस्थाएँ		
1	सदस्य	महानिदेशक, विदेश व्यापार या उसका प्रतिनिधि
2	सदस्य	मुख्य आयुक्त सीमा शुल्क, भारत सरकार
3	सदस्य	कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), नई दिल्ली के प्रतिनिधि सदस्य
4	सदस्य	भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् (आई0सी0ए0आर0) नई दिल्ली के प्रतिनिधि सदस्य
5	सदस्य	निर्यात निरीक्षण परिषद (ई0आई0सी0) के क्षेत्रीय अधिकारी
6	सदस्य	क्षेत्रीय अधिकारी/ प्रतिनिधि, वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय, फरीदाबाद, हरियाणा
7	सदस्य	क्षेत्रीय अधिकारी/ प्रतिनिधि, पशु संगरोध एवं प्रमाणन सेवाएँ, नई दिल्ली
8	सदस्य	भारतीय निर्यात संगठन संघ (एफ0आई0ई0ओ0), नई दिल्ली के प्रतिनिधि
ग. अन्य सदस्य		
1	सदस्य	राज्य सरकार द्वारा प्रगतिशील किसान एवं /अथवा एफपीओ में से नामित दो (02) सदस्य
2	सदस्य	राज्य सरकार द्वारा नामित दो (02) प्रख्यात निर्यातक
3	सदस्य	राज्य सरकार द्वारा नामित औद्योगिक चैम्बर्स के दो (02) प्रतिनिधि

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे तथा नामित सदस्यों का कार्यकाल 02 वर्ष का होगा।

राज्य स्तरीय निर्यात निगरानी समिति इस नीति के उद्देश्य के लिए शक्ति प्राप्त समिति के रूप में कार्य करेगी। राज्य स्तरीय निर्यात निगरानी समिति समय-समय पर राज्य स्तर पर कृषि निर्यात की स्थिति की समीक्षा करेगी एवं राज्य और केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों एवं अन्य हितधारकों के बीच समन्वयन के द्वारा निर्यात संवर्धन उपाय करेगी। यह समिति क्लस्टर की सूची में सुधार, विस्तार, एवं गठन को भी अंतिम रूप प्रदान करेगी। यह मंडलीय और जिला स्तरीय समितियों को कार्यात्मक मार्गदर्शन भी प्रदान करेगी। इस नीति के उद्देश्य की पूर्ति हेतु समिति के अध्यक्ष किसी भी विभाग, संस्था इत्यादि से सदस्य को नामित करने के लिए अधिकृत होंगे।

6.1.3 कृषि विपणन और कृषि विदेश व्यापार विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य स्तर पर नोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय, उत्तर प्रदेश नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। कृषि निर्यात संवर्धन की अपने दायित्वों और गतिविधियों का पर्याप्त निर्वहन करने के लिए सरकार द्वारा नोडल एजेंसी को न्यूनतम आवश्यकता के अनुसार प्रतिवर्ष बजट आवंटित किया जाएगा। नोडल एजेंसी इस नीति के कार्यान्वयन हेतु राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद् उत्तर प्रदेश एवं मंडी समिति का सहयोग प्राप्त करेगी। राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए धन का उपयोग बुनियादी ढाँचे में महत्वपूर्ण अंतराल को भरने और निर्यात संबंधित मुद्दों को वित्तपोषित करने के लिए किया जाएगा।

नोडल एजेंसी निर्यातकों/ हितधारकों द्वारा उठाए जाने वाले मामलों का निस्तारण करने के लिए राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से संपर्क स्थापित करेगी तथा कार्यक्रम और बैठकें आयोजित करेगी, जानकारी प्रसारित करेगी, क्षमता निर्माण कार्यक्रम आदि आयोजित करेगी। नोडल एजेंसी विभिन्न विभागों और संस्थाओं के लिए संचालन संबंधी एवं उत्पाद विशिष्ट मानक संचालन प्रक्रिया (एस03ओ0पी0) तैयार करने के लिए संबंधित एजेंसियों के साथ कार्य करेगी।

इस नीति के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नोडल एजेंसी कृषि निर्यात के क्षेत्र के विशेषज्ञों को जोड़ते हुए तथा सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए और नोडल एजेंसी, मंडल और जिला स्तरीय इकाइयों के लिए इस नीति के संबंध में संचालनात्मक एवं सूचना प्रौद्योगिकी सहयोग प्रदान करते हुए संस्थागत ढाँचे को मजबूत करेगी।

6.1.4 मंडलायुक्त के स्तर पर उनकी निगरानी में एक मंडल स्तरीय कृषि निर्यात निगरानी समिति गठित की जाएगी, जो निम्नवत होगी:-

क्रम सं.	समिति के पद नाम	आधिकारिक पदनाम
1.	अध्यक्ष	मंडलायुक्त
2.	सदस्य	कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) नई दिल्ली के प्रतिनिधि सदस्य
3.	सदस्य	वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय, फरीदाबाद, हरियाणा के प्रतिनिधि सदस्य
4.	सदस्य	अध्यक्ष द्वारा नामित राज्य/केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का प्रतिनिधि
5.	सदस्य	संयुक्त कृषि निदेशक, / उप कृषि निदेशक
6.	सदस्य	संयुक्त आयुक्त, उद्योग सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग
7.	सदस्य	उप निदेशक, उद्यान
8.	सदस्य	प्रधानाचार्य, राज्य खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केंद्र/ खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
9.	सदस्य	अपर निदेशक, पशुपालन
10.	सदस्य	सहायक आयुक्त (खाद्य), खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग, उत्तर प्रदेश
11.	सदस्य	उप निदेशक (प्रशासन/ विपणन), मंडी परिषद
12.	सदस्य	उप निदेशक, मत्स्य
13.	सदस्य	अध्यक्ष द्वारा नामित महाप्रबंधक, चीनी मिल
14.	सदस्य	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के प्रतिनिधि
15.	सदस्य	लघु कृषक कृषि व्यापार संघ के प्रतिनिधि

		(एस0एफ0ए0सी0)
16.	सदस्य	अध्यक्ष द्वारा नामित एन0ए0बी0एल0 (राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड) से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला का प्रतिनिधि
17.	सदस्य	अध्यक्ष द्वारा नामित प्रख्यात गैर सरकारी संस्थान (एन0जी0ओ0) के प्रतिनिधि
18.	सदस्य	अध्यक्ष द्वारा प्रगतिशील किसान एवं /अथवा एफपीओ में से नामित दो (02) सदस्य
19.	सदस्य	अध्यक्ष द्वारा नामित मंडल के दो (02) प्रख्यात निर्यातक
20.	सदस्य सचिव	सहायक कृषि विपणन अधिकारी/ सहायक विपणन अधिकारी, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग, उत्तर प्रदेश

नामित सदस्यों का कार्यकाल 02 वर्ष का होगा।

मंडल स्तरीय निर्यात निगरानी समिति वर्ष में न्यूनतम दो बार मंडल स्तर पर कृषि निर्यात की स्थिति की समीक्षा करेगी और विभिन्न विभागों के बीच समन्वयन द्वारा निर्यात को बढ़ावा देने का उपाय करेगी। यह समिति निर्यात योग्य कृषि उत्पाद और उत्पादन के लिए गठित क्लस्टरों के विकास और कामकाज की समीक्षा करेगी।

6.1.5 जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में क्लस्टर सुविधा इकाई स्थापित की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:-

क्रम सं.	समिति के पद नाम	आधिकारिक पदनाम
1.	अध्यक्ष	जिलाधिकारी
2.	सदस्य	मुख्य विकास अधिकारी
3.	सदस्य	उप कृषि निदेशक / जिला कृषि अधिकारी

4.	सदस्य	जिला उद्यान अधिकारी
5.	सदस्य	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, पशुपालन
6.	सदस्य	उपायुक्त उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र
7.	सदस्य	अभिहित अधिकारी, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, उत्तर प्रदेश
8.	सदस्य	सहायक निदेशक, मत्स्य
9.	सदस्य	अध्यक्ष द्वारा नामित महाप्रबंधक, चीनी मिल
10.	सदस्य	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) / लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (एस०एफ०ए०सी०) के प्रतिनिधि
11.	सदस्य	अध्यक्ष द्वारा नामित प्रख्यात गैर सरकारी संस्थान (एन०जी०ओ०) के प्रतिनिधि
12.	सदस्य	अध्यक्ष द्वारा नामित एन०ए०बी०एल० (राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड) से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला का प्रतिनिधि
13.	सदस्य	अध्यक्ष द्वारा प्रगतिशील किसान एवं /अथवा एफपीओ में से नामित दो (02) सदस्य
14.	सदस्य	अध्यक्ष द्वारा नामित जनपद का एक (01) निर्यातक
15.	सदस्य सचिव	जिला कृषि अधिकारी/ ज्येष्ठ कृषि विपणन निरीक्षक, कृषि विपणन विभाग

नामित सदस्यों का कार्यकाल 02 वर्ष का होगा।

क्लस्टर सुविधा इकाई का प्रयास होगा कि:-

- क) प्रत्येक संबंधित विभाग उपयुक्ता और निर्यात प्रोत्साहन के लक्ष्यों के अनुसार क्लस्टर में किसानों /एफ०पी०ओ०/एफ०पी०सी० की संख्या और क्षेत्र का निर्धारण करें।
- ख) क्लस्टर विकास कार्य की निगरानी करना।
- ग) निर्यात योग्य मर्दों के क्लस्टर खेती के अंतर्गत क्षेत्र वृद्धि को प्रोत्साहित करना और उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार करना।

- घ) प्रत्येक क्लस्टर में कई एजेंसियों जैसे लघु कृषि व्यापार संघ, नाबार्ड आदि के अंतर्गत एफपीओ/ एफपीसी के पंजीकरण को प्रोत्साहित करना।
- ङ) विभिन्न कृषि फसलों और उत्पादों के लिए मुख्य विभागों (कृषि, पशुपालन, उदान एवं खाय प्रसंस्करण, डेयरी एवं दुग्ध विकास, खाय एवं औषधि प्रशासन, मत्स्य, कृषि विपणन, मंडी समिति आदि) और हितधारकों (निर्यातकों, संभावित निर्यातकों, किसान की उत्पादक कंपनियाँ (एफपीसी), किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ), किसान एवं उत्पादक सहकारी समितियाँ, किसान आदि) के बीच क्लस्टर स्तरीय समन्वयन स्थापित करना।
- च) एपीडा ऑनलाइन ट्रैसेबिलिटी सिस्टम के तहत किसानों के पंजीकरण को सुगम बनाना और प्रोत्साहित करना। निर्यातकों को उत्पाद की सीधी खरीद के लिए पंजीकृत एफपीओ/ एफपीसी/ किसानों से जोड़ना।
- छ) प्राथमिक और द्वितीयक प्रसंस्करण इकाईयों और निर्यातकों के साथ उनके संपर्क को प्रोत्साहित करना तथा सुगम बनाना।
- ज) क्लस्टर को बनाने में संगठनों/ संस्थानों/ गैर सरकारी संगठनों (एन0जी0ओ0) एवं अन्य हितधारकों की मदद ली जायेगी।
- झ) क्षेत्र की उपयुक्तता के आधार पर चिन्हित कृषि उत्पाद और उत्पादन के नये क्लस्टर के निर्माण हेतु संस्तुति करेगी, जिसके सम्बन्ध में राज्य स्तरीय निर्यात निगरानी समिति क्लस्टर के निर्माण को तय करने के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लेगी।

नोट-

- 1- फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी (एफपीसी) का अर्थ है किसान उत्पादक सदस्यों की एक कंपनी, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा IXA में परिभाषित है तथा कंपनियों के रजिस्ट्रार से यथा संशोधित एवं लागू निर्गमित है।
- 2- किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) का अर्थ है किसानों का एक संघ, जिसे किसी भी नाम / रूप में कहा जाता है / मौजूद है तथा जो तत्समय लागू किसी भी कानून के तहत पंजीकृत है, जो किसानों को सामूहिक संगठित कर उनमें उत्पादन और विपणन का लाभ उठाने की क्षमता का निर्माण करता है।

6.1.6 कृषि उत्पाद और उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए विभिन्न राज्य स्तरीय संबंधित नीतियों के लाभों को जोड़ने के प्रयास किये जाएँगे जिसमें कृषि नीति 2013, उत्तर प्रदेश

औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017, उत्तर प्रदेश वेयरहाइससिंग तथा लॉजिस्टिक्स नीति 2018 और उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2017 शामिल है।

6.2 बुनियादी ढांचे को सक्षम करना - नए का विकास और मौजूदा बुनियादी ढांचे का उन्नयन

अन्तरराष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप विदेशी बाजारों को जोड़ने एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु सभी सुसज्जित उपकरणों सहित संग्रह केन्द्र, पैक हाइस, वेयरहाइस, पकाने वाले चैंबर, लॉजिस्टिक्स, अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी), एयरपोर्ट पर कार्गो केन्द्रों के द्वारा राज्य, मण्डल एवं जिला स्तर पर कृषि निर्यात के सहायतार्थ पर्याप्त अवसंरचना स्थापित करना प्राथमिक आवश्यकता है। राज्य और मण्डल स्तर पर आवश्यकतानुसार एन०ए०बी०एल० मान्यता प्राप्त कीटनाशक अवशेष, भारी धातु और जैविक संदूषण परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना करने में मदद किया जाना लक्षित है।

सार्वजनिक, निजी, एवं निजी व सार्वजनिक साइडेनारी (पी०पी०पी०) क्षेत्र में पैक हाइस/ संग्रह केंद्र/ पकाने का कक्ष/ रीफर वैन-नॉन रीफर वैन/ गोदाम/ शीतगृह की सुविधाओं को विकसित करना जिससे नष्ट होने वाले पदार्थों को विभिन्न स्तरों पर जैसे पैक हाइस, आईसीडी व एयरपोर्ट पर कार्गो केन्द्रों पर भी रक्षित किया जा सके। शीध्र नाशवान पदार्थों के परिवहन सुविधाओं यथा रीफर वैन/ रीफर ट्रकों को उत्तर प्रदेश वेयरहाइससिंग तथा लॉजिस्टिक्स नीति 2018 और उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2017 के अन्तर्गत प्रदत्त अनुदान द्वारा पर्याप्त प्रोत्साहित किया जायेगा।

ढाँचागत सुविधाओं की आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए सभी सम्बंधित विभागों द्वारा व्यापक विश्लेषण किया जाएगा एवं कमियों (need gap) को चिह्नित किया जायेगा, जो उनके संबंधित क्षेत्र में निर्यात के लक्ष्य को हासिल करने के लिए आवश्यक होगा। राज्य में संबंधित विभागों द्वारा अपने लक्ष्य निर्धारित किये जाएँगे और उन्हें हासिल करने की रणनीति बनाई जाएगी। उपयुक्त विश्लेषण के आधार पर प्रभावी मूल्य श्रृंखला आयातकर्ता देशों के कठोर गुणवत्ता और स्वच्छता एवं पादपस्वच्छता मानकों को पूरा करने के लिए विशेष रूप से जल्दी नष्ट होने योग्य उत्पादों के लिए विकसित की जाएगी।

6.2.1 उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति उत्पादन और उत्पादों के लिए क्लस्टर दृष्टिकोण पर केंद्रित है और क्लस्टर की पहचान उत्पादन, निर्यात में योगदान, निर्यातक के संचालन, प्रचालन

की मापनीयता, निर्यात बाजारों के आकार और निर्यात में वृद्धि की क्षमता पर आधारित होगी। निर्यातों को बढ़ाने के लिए पहचान किए गए क्लस्टर्स में बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रयास किए जाएंगे।

इस नीति के अन्तर्गत निर्यात क्लस्टर के लिए न्यूनतम 50 हेक्टेयर की कृषि भूमि विकास खण्ड की सीमान्तर्गत होनी चाहिये, जिसे जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित क्लस्टर सुविधा इकाई द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।

यह नीति विशेष रूप से अनुलग्नक-1 (यथा संशोधित) में वर्णित जिलों में फसलों और उत्पादों की कृषि निर्यात क्षमता की प्राप्ति के उद्देश्य से है। क्लस्टर की सूची का विस्तार और संशोधन जिला स्तरीय क्लस्टर सुविधा इकाई की सिफारिश पर अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार, ३०प्र० शासन की अध्यक्षता में गठित एक राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति द्वारा किया जायेगा, जिसके सदस्य सचिव निदेशक, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार ३०प्र० एवं अन्य सदस्य शासन द्वारा नामित अधिकारी होंगे।

6.2.2 क्लस्टर्स के निकट स्थापित की जाने वाली नवीन प्रसंस्करण इकाईयों के लिए निर्यात आधारित प्रोत्साहन व्यवस्था

नोडल एजेंसी क्लस्टर्स में उत्पादित कृषि उत्पाद के प्रसंस्करण हेतु स्थापित की गयी नई प्रसंस्करण इकाई/पैक हाउस/शीत गृह/राइपेनिंग चैम्बर आदि को निर्यात की स्थिति में निर्यात प्रोत्साहन प्रदान करेगी। यह प्रोत्साहन निर्यात के टर्न ओवर के 10 प्रतिशत अथवा रूपया 25 लाख, जो भी कम हो, निर्यात प्रारम्भ करने के वर्ष से 05 वर्षों तक दिया जायेगा। यह केवल नई इकाईयों, जो क्लस्टरों के पास स्थापित की जायेंगी, को ही देय होगा। इसके लिए उक्त इकाई को क्रय किए गए कृषि उत्पाद को मौलिक अथवा प्रसंस्कृत रूप में न्यूनतम 40 प्रतिशत निर्यात करना होगा। यह प्रोत्साहन धनराशि निर्यात दायित्व सिद्ध होने के उपरान्त दी जाएगी। इस संबंध में प्रोत्साहन राशि का अनुमोदन अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार, ३०प्र० शासन की अध्यक्षता में गठित एक राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति जिसके सदस्य सचिव निदेशक, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार ३०प्र० एवं अन्य सदस्य शासन द्वारा नामित अधिकारी होंगे, से कराते हुए भुगतान नोडल एजेंसी द्वारा किया जायेगा।

6.2.3 निजी क्षेत्र के लिए प्रोत्साहन

कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिये निर्यातकों को प्रोत्साहित करने हेतु निम्नलिखित उपाय किये जायेंगे :-

6.2.3.1

निर्यात उन्मुख क्लस्टर्स की सुविधा और गठन के लिए और ऐसे क्लस्टर्स में आवश्यक प्रसंस्करण इकाई की स्थापना सुनिश्चित करने के लिए और इन क्लस्टर्स से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन इस प्रकार दिया जाएगा:

वर्ग	न्यूनतम पात्रता आवश्यकताएँ	प्रोत्साहन
कृषक क्लस्टर	क्लस्टर क्षेत्र 50 हेक्टेयर से 100 हेक्टेयर तक	क्लस्टर निर्माण, पंजीकरण और निर्यात दायित्व पूर्ण होने पर रुपये 10 लाख।
	100 हेक्टेयर से अधिक एवं 150 हेक्टेयर तक	क्लस्टर निर्माण, पंजीकरण और निर्यात दायित्व पूर्ण होने पर रुपये 16 लाख।
	150 हेक्टेयर से अधिक एवं 200 हेक्टेयर तक	क्लस्टर निर्माण, पंजीकरण और निर्यात दायित्व पूर्ण होने पर रुपये 22 लाख।
	200 हेक्टेयर से अधिक एवं 250 हेक्टेयर तक	क्लस्टर निर्माण, पंजीकरण और निर्यात दायित्व पूर्ण होने पर रुपये 28 लाख।
	250 हेक्टेयर से अधिक एवं 300 हेक्टेयर तक	क्लस्टर निर्माण, पंजीकरण और निर्यात दायित्व पूर्ण होने पर रुपये 34 लाख।

	300 हेक्टेयर से अधिक एवं 350 हेक्टेयर तक	क्लस्टर निर्माण, पंजीकरण और निर्यात दायित्व पूर्ण होने पर रुपये 40 लाख।
	उपर्युक्तानुसार क्लस्टर का क्षेत्रफल बढ़ने पर धनराशि में रुपये 6 लाख की बढ़ोत्तरी अनुमन्य होगी।	
	इसमें से प्रथम वर्ष में 40 प्रतिशत एवं उसके पश्चात 15 प्रतिशत प्रति वर्ष आगामी 04 वर्ष तक निर्यात होने पर।	

अतिरिक्त प्रोत्साहन प्राप्त करने हेतु क्लस्टर द्वारा उत्पादित कृषि जिन्स का स्थानीय उत्पादकता के आधार पर (कृषि विभाग/उद्यान विभाग/ सम्बन्धित विभाग के उत्पादन आकड़ों के अनुसार) कुल उत्पादन का न्यूनतम 30 प्रतिशत मात्रा में निर्यात होने पर दायित्व पूर्ण माना जायेगा तथा आगामी 04 वर्षों में निर्यात को बढ़ाते हुए 50 प्रतिशत तक करने का प्रयास किया जाएगा।

क्लस्टर का भौतिक निरीक्षण एवं सत्यापन जिला स्तरीय क्लस्टर सुविधा इकाई के द्वारा किया जायेगा। क्लस्टर कम्पनी अधिनियम, 1956 अथवा उत्तर प्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम 1965 के अन्तर्गत एफ०पी०ओ०/एफ०पी०सी० अथवा सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम 1860 के अन्तर्गत कृषक समूह (Farmers' Aggregate) के रूप में गठित किये जायेंगे तथा प्रोत्साहन धनराशि उक्त संस्था को ही निर्यात एवं अच्छी कृषि पद्धति के सम्बन्ध में प्रसार हेतु दिया जायेगा।

6.2.3.2 कृषि उत्पादों व प्रसंस्कृत वस्तुओं के निर्यात हेतु परिवहन अनुदान:

उत्तर प्रदेश समुद्री तट से बहुत दूर स्थित है, जिससे निर्यातकों को समुद्री तट वाले राज्यों से प्रतिस्पर्धा में कठिनाई आती है। वायु मार्ग से निर्यात करने पर बहुत खर्च आता है। उक्त के दृष्टिगत निर्यातकों को परिवहन अनुदान (वायु मार्ग/ रेल मार्ग/ सड़क मार्ग/ जल मार्ग) दिया जायेगा।

कृषि उत्पादों एवं इनसे प्रसंस्कृत वस्तुओं के निर्यात पर परिवहन अनुदान की प्रोत्साहन राशि का अनुमोदन अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कृषि विषयन एवं कृषि विदेश व्यापार, ३०प्र० शासन की अध्यक्षता में गठित एक राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति जिसके सदस्य सचिव निदेशक, कृषि विषयन एवं कृषि विदेश व्यापार ३०प्र० एवं अन्य सदस्य शासन द्वारा नामित अधिकारी होंगे, से कराते हुए भुगतान नोडल एजेंसी द्वारा किया जायेगा।

परिवहन अनुदान (वायु मार्ग/ रेल मार्ग/ सड़क मार्ग/ जल मार्ग) की दरों का निर्धारण निम्नवत् है:-

क) वायु मार्ग अथवा जल मार्ग से निर्यात करने पर परिवहन अनुदान ₹० १० (रूपया दस) प्रति किलोग्राम अथवा वास्तविक भाड़े का २५ प्रतिशत, जो भी कम हो (पोर्ट तक उत्पाद पहुंचाने का मार्ग व्यय सहित)।

ख) रेल मार्ग अथवा सड़क मार्ग से निर्यात करने पर परिवहन अनुदान ₹० ०५ (रूपया पाँच) प्रति किलोग्राम अथवा वास्तविक भाड़े का २५ प्रतिशत, जो भी कम हो।

परिवहन अनुदान मद में प्रतिवर्ष अधिकतम ₹० १० लाख प्रति निर्यातक/फर्म को देय होगा।

उक्त परिवहन अनुदान मांस एवं चीनी के निर्यात पर देय नहीं होगा।

यह परिवहन अनुदान निर्यातक से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के बाद दिया जायेगा कि उनके द्वारा अन्य किसी स्रोत/विभाग से इस प्रकार का कोई अनुदान नहीं लिया गया।

6.2.3.3 कृषि निर्यात (उत्पाद/उत्पादन) में प्रयुक्त विनिर्दिष्ट कृषि उपज पर मण्डी शुल्क/प्रयोक्ता प्रभार एवं विकास सेस से छूट निम्नवत् दी जायेगी :

१: किसानों, कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ/ एफपीसी) अथवा सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत गठित कृषक उत्पादक समूह से सीधे क्रय करने पर मण्डी शुल्क/ प्रयोक्ता प्रभार एवं विकास सेस की शत-प्रतिशत छूट दी जायेगी।

2: आढ़तियों के माध्यम से खरीद करने पर मण्डी शुल्क व प्रयोक्ता प्रभार की शत-प्रतिशत छूट दी जायेगी परन्तु निर्धारित विकास सेस देय होगा।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 में उपलब्ध प्राविधानों के अनुरूप निर्यात दायित्व सिद्ध करने के उपरान्त निर्यात पर मण्डी शुल्क/प्रयोक्ता प्रभार एवं विकास सेस आदि से छूट मिलेगी, जो सामान्यतः 05 वर्षों तक देय है। निर्यात दायित्व सिद्ध करने की प्रक्रिया का निर्धारण समय-समय पर शासन द्वारा किया जायेगा।

6.2.3.4 कृषि निर्यात/ पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन और प्रौद्योगिकी में डिग्री/ डिप्लोमा/ सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए प्रोत्साहन:

रोजगार सृजन करने और बढ़ावा देने के लिए एवं राज्य में निर्यात और फसल प्रबंधन के क्षेत्र में कुशल कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कृषि निर्यात और पोस्टहार्वेस्ट प्रबंधन एवं प्रौद्योगिकी में डिग्री / डिप्लोमा / सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित विश्विद्यालयों/ सरकारी संस्थानों में वार्षिक फीस की 50 प्रतिशत या रुपया 0.50 लाख प्रति छात्र की अधिकतम सीमा के अन्तर्गत प्रदान किया जायेगा। 15 महीने से अधिक की अवधि के पाठ्यक्रमों हेतु फीस के लिए रुपया 1.0 लाख दिया जाएगा।

इस प्रकार के उच्च शिक्षा कार्यक्रम प्रारम्भ करने वाले राजकीय संस्थानों को एक मुश्त रुपया 50 लाख अनुदान दिया जायेगा।

6.2.4 बाजार परिज्ञान एवं अनुसंधान

वर्तमान में उत्तर प्रदेश में बाजार काफी हद तक आपूर्ति आधारित है, जबकि वैशिक रुझान दिन प्रतिदिन बदल रहा है। यह नीति मूल्य शृंखला के सभी चरणों में लाभप्रदता बढ़ाने के लिए मांग आधारित कृषि उत्पादन की ओर एक बदलाव का इरादा रखती है। नोडल एजेंसी द्वारा राज्य में निर्यात उन्मुख बाजार परिज्ञान प्रणाली को सुविधाजनक बनाने, विकसित करने और सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से हितधारकों के बीच प्रचार सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार से सहयोग प्राप्त किया जाएगा। इस संबंध में विशेषज्ञों की आवश्यक सेवाओं को लिया जा सकेगा।

6.2.5 पैकेजिंग:

अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार वस्तुओं की आकर्षक और स्वीकार्य पैकेजिंग की सुविधा के लिए हितधारकों को अंतर्राष्ट्रीय पैकेजिंग आवश्यकता के अनुसार पैकेजिंग सामग्री के डिजाइन, मुद्रण, निर्माण के लिए जैसा कि शक्ति प्राप्त समिति द्वारा तय किया जाय, प्रोत्साहन राशि दी जायेगी। उत्तर प्रदेश सरकार प्रमुख राज्य/ केंद्रीय संस्थानों के सहयोग से आयात करने वाले देश की विशेष वस्तु आवश्यकताओं के लिए पैकेजिंग समाधानों के अनुसंधान और विकास को भी बढ़ावा देगी और हितधारकों को उसे उपलब्ध करायेगी।

6.2.6 ट्रेसेबिलिटी

निर्यात योग्य कृषि उपज की अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल उपकरणों के माध्यम से राज्य में निर्यात योग्य उत्पादन की एक ट्रेसेबिलिटी प्रणाली स्थापित और प्रोत्साहित की जाएगी। राज्य स्तर की निर्यात निगरानी समिति ट्रेसेबिलिटी को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के लिए अधिकृत होगी।

6.3 निर्यात सुविधा केंद्रों को स्थापित करना

राज्य स्तरीय कृषि निर्यात सुविधा केंद्र/ कृषि निर्यात प्रोत्साहन इकाई कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय, उत्तर प्रदेश में स्थापित की जाएगी, जहाँ पर आवश्यकता पड़ने पर विशेषज्ञों की सेवाएँ प्राप्त की जाएँगी। यह विभिन्न योजनाओं और उत्पादों पर जानकारी और सहायता प्राप्त करने के लिए हितधारकों हेतु केंद्रीय संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करेगी।

राज्य स्तर पर सभी सम्बंधित विभाग (कृषि, पशुपालन, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास, डेयरी एवं दुग्ध विकास, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मत्स्य, मंडी परिषद आदि) नोडल एजेंसी के समन्वयन से निर्यात प्रोत्साहन इकाई स्थापित करेंगे। प्रत्येक सम्बंधित विभाग में स्थापित निर्यात प्रोत्साहन इकाई के द्वारा समन्वय करते हुए विभाग में निर्यात विकास प्रोत्साहन कार्य की निगरानी की जाएगी। प्रत्येक सम्बंधित विभाग निर्यात प्रोत्साहन, गुणवत्तापूर्ण निर्यात योग्य अधिशेष के उत्पादन में वृद्धि के लिए पर्याप्त बजट को आवंटित करने का प्रयास करेगा। सभी क्षेत्रीय विभाग राज्य से निर्यात को विविधीकृत करने और विस्तार करने के लिए वार्षिक कार्ययोजना विकसित करने और कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

6.4 सूचना प्रसार और क्षमता निर्माण

निर्यातकों और किसानों को विभागीय सुविधा केन्द्रों और विभागों द्वारा समय-समय पर कृषि निर्यात परिवहन पर पर्याप्त और अपडेटेड जानकारी प्रदान की जाएगी। नोडल एजेंसी किसानों और अन्य हितधारकों तक पहुँचने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार (आई0ई0सी0) सामग्री को प्रसारित करने के लिए इन विभागों एवं गैर सरकारी संगठनों (एन0जी0ओ0) से राज्य स्तर पर समन्वय स्थापित करेगी।

नोडल एजेंसी कृषि निर्यात प्रोत्साहन और सुगमीकरण के विविध पहलुओं पर विश्वविद्यालयों, संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों (एन0जी0ओ0), अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों (यू0एस0डी0ए0, सी0आइ0टी0डी0 इत्यादि) और संबंधित राज्य स्तरीय विभागों के सहयोग से क्षमता निर्माण कार्यक्रमों की योजना बनाएगी और इसे आयोजित करेगी। कार्यक्रमों को राज्य में कृषि निर्यात तथा पर्यावरण के अनुकूल स्थायी कृषि पद्धतियों के प्रोत्साहन करने पर केन्द्रित किया जायेगा।

6.5 व्यवसाय को प्रोत्साहित करना, स्टार्ट अप और निवेश प्रोत्साहन

नोडल एजेंसी कृषि निर्यात के क्षेत्र में स्टार्ट-अप और निजी निवेश को बढ़ावा देने और इस संबंध में व्यवसाय को प्रोत्साहित करने का प्रयास करेगी।

सभी सम्बंधित विभागों में अपनी विभागीय योजनाओं के माध्यम से निर्यात के प्रयोजन के लिए किसानों/एफपीओ/ कृषि निर्यातकों को प्रोत्साहन राशि देने और खेती के इनपुट जैसे गुणवत्तापूर्ण बीज, उर्वरक, कीटनाशक, जैविक उत्पादन तथा फार्म मशीनरी तथा दुकानें एवं स्थान आवंटित करने में अधिमान्यता और परिवहन आदि में मदद करने के भी प्रयास किये जायेंगे।

□ सभी निर्यात योग्य फल और सब्जियों के लिए अबाधित आपूर्ति शृंखला को बढ़ावा दिया जायेगा तथा इन पर देय मंडी शुल्क और सेस में छूट दी जाएगी। सीधे विपणन (मंडी स्थल, उप मंडी स्थल, निजी मंडी स्थल से बाहर किसानों से सीधी थोक खरीद), अनुबंध खेती, निजी मंडी स्थल की स्थापना, विशिष्ट जिन्स मंडी की स्थापना, एकत्रीकरण केन्द्र/पकाने के कक्ष/ पैक हाउस/ गोदाम/ साइलो/ कोल्ड स्टोरेज/ या ऐसी अन्य संरचना या स्थान को मंडी उप स्थल घोषित किया जाना और किसान/ उत्पादक को विपणन स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया जाएगा और राज्य में इसकी सुविधा प्रदान की जाएगी।

कलस्टर के लिए सामान्य सुविधा केन्द्र (कॉमन फैसिलिटी सेन्टर) की सुविधा सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी।

6.6 अच्छी कृषि पद्धतियों का कार्यान्वयन

अंतर्राष्ट्रीय मानकों और दिशानिर्देशों के अनुसार, सम्बंधित विभाग दीर्घकाल में बेहतर व्यवसाय सुनिश्चित करने के लिए अच्छी कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करेंगे। नोडल एजेंसी विभिन्न स्तरों पर अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं पर जानकारी साझा करने के लिए विभागों और संस्थाओं के साथ समन्वयन में कार्य करेगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उत्पाद की स्वीकार्यता को सुनिश्चित करने के लिए हितधारकों के बीच जानकारी प्रसारित की जाएगी। इस प्रयोजन के लिए आसान सन्दर्भ हेतु पर्याप्त प्रलेखन भी किया जाएगा तथा कृषि विभाग के प्रसार तंत्र का भी उपयोग किया जायेगा।

6.7 नवोन्मेष, शोध और विकास

विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों और निर्यात को बढ़ावा देने वाली एजेंसियों के बीच अधिक से अधिक सहभागिता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है जो अनुसंधान निकायों को निर्यात विशिष्ट आवश्यकताओं पर काम करने में सक्षम बनाएंगे। विशिष्ट अनुसंधान के लिए क्षेत्रों (जैसे रोग मुक्त क्षेत्र, लंबी दूरी की समुद्री प्रोटोकॉल, निर्यात किस्मों का विकास/निर्यात योग्य प्रजाति का आयात, आदि) का चिन्हांकन अनुसंधान संस्थानों द्वारा स्वदेशी प्रजातियों के विकास, जैविक कृषि प्रथाओं और अच्छी गुणवत्ता के निर्यात योग्य उत्पाद सुनिश्चित करने के लिए नोडल एजेंसी द्वारा किया जायेगा। नवोन्मेष, शोध और विकास को अतिरिक्त प्रोत्साहन दिये जाने के सम्बन्ध में राज्य स्तरीय निर्यात निगरानी समिति निर्णय लेने हेतु अधिकृत होगी।

6.8 प्रचार कार्यक्रम

नोडल एजेंसी देश और विदेश में अंतर्राष्ट्रीय क्रेता-विक्रेता समागम (बी0एस0एम0) आयोजित करेगी। इसके लिये वह सभी प्लेटफार्म और साधनों अर्थात् रोड शो, सोशल मीडिया, प्रदर्शनी, डिजीटल प्लेटफार्म आदि का प्रयोग करेगी।

6.9 विविध

इस नीति के कार्यान्वयन में हितधारकों के बीच व्यवसाय को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न अवसर विभिन्न विभागों और एजेंसियों के सहयोग से उत्पन्न किये जाएँगे। सभी संबंधित विभागों के लिए बेहतर समन्वयन और कार्यान्वयन तथा किसानों और निर्यातकों तक

पहुँचने के लिए सूचना और प्रोयोगिकी का प्रयोग किया जाएगा तथा सम्बंधित विभाग इस नीति के समय से कार्यान्वयन के लिए सरकारी आदेश और दिशानिर्देश जारी करना सुनिश्चित करेंगे।

6.10 प्रभाव मूल्यांकन

कृषि निर्यात को बढ़ाने के वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने और इस संबंध में महत्वपूर्ण अंतराल (गैप) को समाप्त करने के लिए इस नीति के प्रभाव का आकलन करने के लिए एक तीसरे पक्ष द्वारा समय-समय पर मूल्यांकन किया जाएगा।

6.11 निष्कर्ष

उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019 (यू०पी०-ए०ई०पी०, 2019) का लक्ष्य कृषि निर्यात प्रोत्साहन के क्षेत्र में विभिन्न मुद्दों और संभावनाओं पर सम्यक ध्यान देना है जिससे उत्तर प्रदेश की कृषि अर्थ व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सकेगा।

.....
.....